

क्रम संख्या	दिनांक	कार्यवाही	अभ्युक्ति
	12-11-22	आज दिनांक 12-11-22 को आयोजित राष्ट्रीय लोड अदालत के वीठ सेंक्या - 8 के समक्ष अभिलेख प्रस्तुत किया गया। इस बाद में धूम्र तथा अभियुक्तगण के विपक्ष समझौता आवेदन दाखिल किया गया है तथा आज दोनों पक्ष वीठ के समक्ष उपस्थित हुए तथा जुलूस की बात कहे तथा अपना हस्ताक्षर पंचार पर दिये तथा वीठ के समक्ष बोले कि हम सभी पक्षों में समझौता हो गया है आगे कुछ नहीं लगना है। दोनों पक्षों के समझौता के आधार पर इस बाद का निष्पादन इसे सर अभिग्रह कारवाई समाप्त की जाती है। JMS 12-11-22 Susharan Adv. 12/11/22	सचिव महानगर नगरपालिका नगर कार्यवाही विभाग काठमाडौं

राष्ट्रीय लोक अदालत के समक्ष

स्थान का नाम.....मुंगेर.....

(विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 19 के अधिन नालसा के निर्देश पर
जिला विधिक सेवा प्राधिकार.....मुंगेर..... द्वारा आयोजित)
याची/वादी/परिवादी.....प्रदीप कुमार यादव.....

विरुद्ध

प्रतिवादी / प्रत्यर्थी.....लंतोष कुमार व अन्य.....

वाद संख्या.....CR 346/22 लंग्रामपुर 209/22.....

उपरिस्थित पीठ के न्यायिक सदस्य का नाम श्री अरूप कुमार उपाध्याय, Jm 1st, Munger.
गैर न्यायिक सदस्य का नाम - 1. श्री लंजय कुमार सखा, अधिवक्ता
- 2. श्री धर्मेन्द्र झा, अधिवक्ता

अधिनिर्णय

पक्षकारों के बीच विवाह को राष्ट्रीय लोक अदालत के समक्ष अवधारण के लिए निर्दिष्ट किया गया है और पक्षकारों ने विवाद/ मामले को आपसी समझौते के द्वारा सुलझा लिया है। अतः समझौते की शर्तों के अनुसार निम्नलिखित अधिनिर्णय पारित किया जाता है।

प्रस्तुत वाद में न्यायालय द्वारा दिनांक 14.10.22 को 1. लंतोष कुमार 2. लंजय कुमार 3. मिथिलेश कुमार यादव 4. सुब्रह्म कुमार यादव के विरुद्ध जा. 50 कि. मी. की धातु 341, 323, 325, 504, 505 के अंतर्गत खेती लिया गया है जिसमें सभी धातु शपथीय प्रकृति की हैं। लंतोष व अत्रियुक्तगण पीठ के समक्ष उपस्थित हुए। दोनों पक्षों के बीच सुलझाया गया सुलह हो गया है। पीठ के समक्ष दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षर अर्वाड पर किया गया। सुलझाया पर दोनों पक्षों का हस्ताक्षर है जिनकी पहचान उनके विद्वान अधिवक्ता किये हैं। दोनों पक्षों के सुलह के आधार पर आज दिनांक 12.11.22 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के पीठ के द्वारा अर्वाड पारित किया गया तथा इस वाद का निष्पादन किया जाता है।

पक्षकारों को सुचित किया जाता है कि किसी पक्षकारों द्वारा यदि न्याय शुल्क का भुगतान किया गया है तो न्याय शुल्क उस पक्षकार को वापस किया जायेगा।

याची/वादी परिवादी प्रदीप कुमार यादव एक नेपाली पक्ष (1) लंतोष कुमार प्रतीवादी/प्रत्यर्थी

न्यायिक सदस्य अरूप कुमार सदस्य (2) लंजय कुमार सदस्य

तारीख

12/11/22

अधिवक्ता

(3) मिथिलेश कुमार सदस्य
(4) सुब्रह्म कुमार उर्फ 50